संख्या-246/2022/414रासनि/23-1-22-07आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 31 अगस्त, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-317सीजी/02सी/रा.स.नि.(आवंटन) 5054/मूल/22-23, दिनांक 08.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत पत्र संख्या-478/CE-HQ-1/RSN 5054/MBD/2022-23, दिनांक 23.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-176/2022/194रासनि/23-1-22/002-07आरएसएन/2022टीसी, दिनांक 05.08.2022 द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु खण्ड/जनपद का नाम यांत्रिक खण्ड मुरादाबाद के स्थान पर वि0/यॉ0 खण्ड मुरादाबाद संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05.08.2022 द्वारा जनपद मुरादाबाद के पूर्व में स्वीकृत 02 मार्गों हेतु रू0 208.73 लाख का आवंटन निर्गत किया गया है तथा उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-2 (खण्ड/जनपद का नाम) के क्रमांक-1/2 में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में खण्ड का नाम वि0/यॉ0 खण्ड, मुरादाबाद के स्थान पर यांत्रिक खण्ड, मुरादाबाद अंकित हो गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या-176/2022/194रासनि/23-1-22/002-07आरएसएन/2022टीसी, दिनांक 05.08.2022 के स्तम्भ-2 में अंकित यांत्रिक खण्ड, मुरादाबाद के स्थान पर वि0/यॉ0 खण्ड, मुरादाबाद पढ़ा व समझा जाय।

4- विषयगत शासनादेश संख्या-176/2022/194रासनि/23-1-22/002-07आरएसएन/2022टीसी, दिनांक 05.08.2022 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-246/2022/414रासनि(1)/23-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।